संख्या:81/2026/554/35-4-2026/35-4002(003)/55/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 31 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-408/त्व०आ०वि०यो०/आगणन /2025-26 दिनांकः 14.03.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-मुरादाबाद/अमरोहा में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रु. 3650.80 लाख (रुपये छत्तीस करोड़ पचास लाख अस्सी हजार मात्र जी०एस०टी० सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 1752.00 लाख (रूपये सत्रह करोड़ बावन लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
	जनपद मुरादाबाद के कार्य:				
1	ग्राम घोंण्डा में कुंवरपाल लाला के घर से होली चौराहे होते हुए सैफनी सम्पर्क मार्ग तक नव निर्माण का कार्य।	600	76.77	37.00	लो0नि0वि0
2	ग्राम मिलक जैतपुर से तालाब के किनारे होते हुए धाम विसाहट तक नव निर्माण का कार्य।	600	132.41	64.00	लो0नि0वि0
3	ग्राम दुपैडा में रामभरोसे के मकान से जगरमपुर पी०डब्ल्यू०डी० सम्पर्क मार्ग तक नव निर्माण का कार्य।	550	41.32	20.00	लो0नि0वि0
4	ग्राम नव्यानगला में बलवीर के घर से प्राथमिक विद्यालय तक नव निर्माण का कार्य।	600	44.03	21.00	लो0नि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5	ग्राम मौसमपुर में सहकारी समिति से मदनपाल के मकान से होते हुए उसमान के मकान से ट्यूबैल की ओर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	550	69.37	33.00	लो0नि0वि0
6	ग्राम मसेवी रसूलपुर से ताहरपुर दोयम व बसेरा खास सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1100	74.97	36.00	लो0नि0वि0
7	ग्राम बाहपुर पी०डब्ल्यू०डी० रोड से अलीरजापुर ग्राम के अन्तिम घर/आबादी तक मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	550	61.21	29.00	लो0नि0वि0
8	वार्ड नं0 22 सूर्य नगर कुंदनपुर में रविंद्र झा के मकान से नितिन के मकान से होते हुए अर्जुन के मकान एवं कमलेश के मकान से गौरव के मकान तक सड़क व आर0सी0सी0 नाली व सड़क का निर्माण कार्य।	212.2	41.26	20.00	ग्रा.अ.वि.
9	वार्ड नं0 3 खुशहालपुर बैंक कॉलोनी में किशन देवी चैराहे से ब्लैस फैक्ट्री शॉप पी0ए0सी0 रोड तक एवं राघव जनरल स्टोर से मनोकामना मंदिर तक एवं आंतरिक गलियों में सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2273.5	264.18	127.00	ग्रा.अ.वि.
10	वार्ड नं0 37 मझोला में प्रीतम नगर में घोड़े वाली गली में राजेश के मकान से चामुंडा मंदिर तक व कुकर वाली गली में प्रमोद के मकान से मल्ला की दुकान तक सड़क व कपिल चैधरी के मकान से वेद प्रकाश सैनी के मकान तक व रूद्रा पब्लिक स्कूल से कमल सिंह के मकान तक सी0सी0 टाइल्स द्वारा सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	962	138.12	66.00	ग्रा.अ.वि.
11	वार्ड नं0 22 सूर्य नगर में सुंदर सिंह के मकान से विकास आर्य के मकान तक सी0सी0 टाइल्स द्वारा सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	441	57.72	28.00	ग्रा.अ.वि.

http://shasanadesh.up.gov.in

12	ग्राम पंचायत बाबूपुरा - घोसीपुरा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम आदोनगली में श्री वीर सिंह के मकान से शिव मन्दिर होते हुए चन्द्रसेन के घर तक सी. सी. इण्टरलाकिग सड़क का नव निर्माण कार्य।	1000	88.05	42.00	ग्रा.अ.वि.
13	ग्राम दादूपुर के बाजार से नहर के किनारे होते हुये लालूवाला तक सड़क निर्माण कार्य।	1400	95.32	46.00	ग्रा.अ.वि.
14	ग्राम कासमपुर में शिव मन्दिर से हकीम के मकान तक सी0सी0 टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	720	118.62	57.00	ग्रा.अ.वि.
15	ग्राम थांवला ब्लाक बिलारी में फतेहपुर थांवला सम्पर्क मार्ग से थांवला वन वाले कब्रिस्तान तक सडक निर्माण कार्य।	1000	102.08	49.00	ग्रा.अ.वि.
16	वार्ड नं0 31 में बंगला गांव वरदान हाउस के सामने से होली चैक होते हुए सतेन्द्र पकोडो वाले के आगे से नटबाबा मन्दिर तक सडक निर्माण कार्य।	620	127.48	61.00	ग्रा.अ.वि.
17	ग्राम मुडाला में अम्बेडकर पार्क से ग्राम दुल्हेपुर तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	695	88.26	42.00	ग्रा.अ.वि.
18	ग्राम मुडाला में बेद सिंह के मकान से बबलू के मकान तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	510	68.61	33.00	ग्रा.अ.वि.
19	ग्राम शेरपुर एतमादपुर में ट्रान्सफर से गुड्डू की दुकान तक एवं मधुवा खालसा मार्ग से गागन नदी जाने वाले नाले का छुटा हुआ भाग पर नाला निर्माण कार्य।	270	14.67	7.00	ग्रा.अ.वि.
20	विकास खण्ड छजलेट के ग्राम मोहम्मदपुर धयानसिंह में शिव मंदिर से सेवा सिंह के मकान से होते हुए सोमनाथ सिंह एवं पंचायत सचिवालय मोहम्मदपुर धयान सिंह तक सडक निर्माण कार्य।	610	107.83	52.00	ग्रा.अ.वि.
21	ब्लाक मुरादाबाद के ग्राम रसूलपुर सुनमाती में शनि देव मंदिर से ब्रजलाल के मकान तक सड़क निर्माण कार्य।	526	89.13	43.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

22	पाकबडा में मौहल्ला सैनी जाहरवीर मंदिर से नाले के किनारे होती हुई मिलक माता वाली तक सड़क निर्माण कार्य।	660	148.09	71.00	ग्रा.अ.वि.
23	श्री सत्य गार्डन दलपतपुर अलीगंज मार्ग से उतरी ग्राम चिरौठियाई मुरादाबाद देहात की ओर सड़क निर्माण	500	44.82	22.00	ग्रा.अ.वि.
24	बिलावाला काला झंडा संपर्क मार्ग से रेलवे लाइन के समीप बढ़ापुर मजरा कुरी सम्पर्क मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य।	800	63.82	31.00	ग्रा.अ.वि.
25	ब्लाक छजलैट ग्राम खण्डसाल में जुन्नारदार के प्रा0विद्यालय से वान नदी की तरफ तक मार्ग निर्माण कार्य।	1850	141.08	68.00	ग्रा.अ.वि.
26	विकास खण्ड छजलैट के ग्राम किशनपुर में किशनपुर पुलिया से राजेन्द्र सिंह के घर तक सडक निर्माण कार्य।	550	63.29	30.00	ग्रा.अ.वि.
27	वि0ख0 भगतपुर टांडा के ग्राम महेशपुर खेम में चामुण्डा मन्दिर से ब्रजपाल सिंह के घर तक सडक निर्माण कार्य।	1330	93.02	45.00	ग्रा.अ.वि.
28	वि0ख0 भगतपुर टांडा के ग्राम टउोला में मैन रोड से जगवीर सिंह के घर तक सडक निर्माण कार्य।	670	69.37	33.00	ग्रा.अ.वि.
29	वार्ड सं0-44 जनपद मुरादाबाद बल्देवपुरी में चन्द्र प्रजापति के घर से सतवीर यादव के घर तक सडक निर्माण कार्य।	650	146.03	70.00	ग्रा.अ.वि.
30	वार्ड सं0-12 जनपद मुरादाबाद में ओम पेन्ट स्टोर से कपिल ठाकुर के मकान तक एवं आन्तरिक गलियां तथा राधिका व्यूटी पार्लर वाली गली एवं आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य।	821	71.11	34.00	ग्रा.अ.वि.
31	वार्ड सं0-12 जनपद मुरादाबाद अनुपम नगर देहरी गांव में शिव मन्दिर से शनि देव मन्दिर तक एवं आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य।	381	35.2	17.00	ग्रा.अ.वि.
32	वार्ड सं0-12 जनपद मुरादाबाद में रजनीकांत जाटव के घर से सम्भल रोड तक एवं आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य।	260	21.4	10.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

33	वि०ख० डिलारी के ग्राम पंचायत गुलड़िया माफी से डिलरे मेन पी०डब्लू०डी० रोड तक नव निर्माण कार्य कार्य।	2990	226.82	109.00	ग्रा.अ.वि.
34	मुरादाबाद काशीपुर स्टेट हाइवे 737 के पास पुलिस चौकी के नजदीक अण्डर पास से ब्लाक डिलारी के गांव जलालपुर व गांव तुगडिया के उत्तर साईड को होते हुए ढेला नदी के पुल के पास तक सडक मार्ग का निर्माण कार्य।	2850	273.74	131.00	ग्रा.अ.वि.
	जनपद अमरोहा हेतु प्रस्तावित कार्य:		0	0	
35	ब्लॉक जोया के ग्राम मिलक में मेन रोड से भगवान सिंह के मकान की ओर इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	550	40.51	19.00	ग्रा.अ.वि.
36	ब्लॉक जोया के ग्राम ईंट का रढ़ा में कोविद सिंह के मकान से प्रा॰ स्कूल (मंदिर) होते हुए मेन रोड तक इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	500	36.74	18.00	ग्रा.अ.वि.
37	ब्लॉक जोया के ग्राम सिरसा मोहन में चामुण्डा से ग्राम सिरसा नौरंगी के तालाब तक डामर पेन्टिंग रोड।	550	57.07	27.00	ग्रा.अ.वि.
38	ग्राम मानकजुड़ी में रामसेवक पंडित जी के मकान से तालाब एवं राकेश के मकान की ओर इण्टरलाकिंग टाईलस एवं नाली निर्माण कार्य	500	41.65	20.00	ग्रा.अ.वि.
39	ब्लॉक जोया के ग्राम ईंट का रढ़ा में भगत राम शर्मा के मकान से टंकी होते हुए राजवीर के मकान की ओर इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	500	35.87	17.00	ग्रा.अ.वि.
40	ग्राम अकबरपुर पटटी में मास्टर दौलत सिंह के मकान से पटटी जूनियर हाई स्कूल तक इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	500	35.69	17.00	ग्रा.अ.वि.
41	ग्राम अल्लादातपुर में राजीव सिंह के मकान से भटटे की ओर इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	500	35.63	17.00	ग्रा.अ.वि.
42	ग्राम सदरपुर में सत्यदेव सिंह के मकान से खजूरी बाबा बालक राम मन्दिर तक पेन्टिंग रोड निर्माण कार्य।	1370	68.44	33.00	ग्रा.अ.वि.
	योग	**35072**	**3650.80**	**1752.00**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि जनपद मुरादाबाद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी, मुरादाबाद की अनुमति से आहरित की जायेगी। जनपद अमरोहा को उनके कार्यों के समतुल्य धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुरादाबाद द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के माध्यम से हस्तान्तरित कराए जाने की कार्यवाही की जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उक्त कार्यों में से **क्रमांक-8 से 11, 16, 30 से 32** पर अंकित कार्यों पर होने वाले व्यय रू0 3,63,00,000 (रू0 तीन करोड़ तिरसठ लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

में अनुदान सं0-40 के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक-** 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना- 0302-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे तथा शेष कार्यों पर होने वाले व्यय रू0 13,89,00,000 (रू0 तेरह करोड़ नवासी लाख मात्र) को **लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या:81/2026/554(1)/35-4-2025/35-4002(003)/55/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डायुक्त, मुरादाबाद मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद/अमरोहा।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुरादाबाद/अमरोहा।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मुरादाबाद/अमरोहा।
15- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद/अमरोहा।
16- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मुरादाबाद/अमरोहा।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।